राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. एफ. 18/डीडीएमए/कोविड/2020/165 **दिनांक 15.05.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सर्वसंबंधित प्राधिकरणों सहित दिल्ली के सभी ग्यारह जिलाधिकारियों को समय–समय पर विभिन्न आदेश/निदेश जारी किए हैं।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुपालन में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने फंसे हुए पीड़ित लोगों की आवाजाही के संबंध में पहले ही आदेश संख्या 2/07/2020/एस–1/122 दिनांक 01.5.2020, आदेश संख्या 2/07/2020/एस–1/129 दिनांक 03.05.2020 और आदेश संख्या 2/07/2020/एस–1/132 दिनांक 04.05.2020 जारी किये हैं।

और जबकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने डीओ पत्र संख्या 40–10/2020–डीएम–1(ए) दिनांक 11.05.2020 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा आगे बताया है कि सड़क पर और रेलवे पटरियों पर चलने वाले प्रवासी मजदूरों की स्थिति एक है बहुत चिंता का विषय है और इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रवासी मजदूर सड़क और रेलवे पटरियों पर न चलें।

अतः, अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा 22 के तहत निहित शक्तियों का अनुपालन करते हुए, राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष के रूप में अधोहस्ताक्षरी के रूप में अपनी क्षमता के तहत, एतद्द्वारा श्री पी. के. गुप्ता, प्रधान सचिव (समाज कल्याण)/राज्य नोडल अधिकारी, श्री मुक्तेश चंदर, विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली/दिल्ली पुलिस के नोडल अधिकारी और दिल्ली के समस्त जिला मजिस्ट्रेट और उनके समकक्ष जिला उपायुक्त पुलिस को निर्देश जारी करते है, कि :

(क) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रवासी मजदूर सड़क और रेलवे पटरियों पर न चलें।

(ख) यदि वे ऐसी स्थिति में पाए जाते हैं, तो उनकी समुचित तरीके से काउंसलिंग की जाए, उन्हें नजदीकी शेल्टरों में ले जाया जाए और उनके लिए तब तक भोजन, पानी आदि की व्यवस्था की जाए, जब तक उनके मूल निवास स्थानों तक जाने के लिए 'श्रमिक' स्पेशल ट्रेनों अथवा बसों आदि की व्यवस्था न हो जाती हो।

(ग) अधिक संख्या में 'श्रमिक' स्पेशल ट्रेनों को चलाने में रेलवे के साथ उचित समन्वय होना चाहिए ताकि फंसे हुए प्रवासी कामगारों की यात्रा को तीव्रतापूर्वक सुविधाजनक बनाया जा सके।

(क) समस्त 'श्रमिक' विशेष रेलगाड़ियों को बिना किसी बाधा के उपलब्ध होनी चाहिए और फंसे हुए प्रवासी कामगारों को उनके मूल स्थानों पर यथाशीघ्र ले जाने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

संलग्न : यथोक्त

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

प्रतिलिपि अनुपालन हेतु :–

1. श्री पी0के0 गुप्ता, प्रधान सचिव (समाज कल्याण)/राज्य नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. श्री मुक्तेश चन्दर, विशेष आयुक्त पुलिस, दिल्ली/नोडल अधिकारी दिल्ली पुलिस।
3. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली।
4. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ :–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव, माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. सचिव, माननीय परिवहन मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. सचिव, माननीय समाज कल्याण मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
10. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
11. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
12. सिस्टम अनेलिस्ट, मंडलीय आयुक्त दिल्ली का कार्यालय, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
13. गार्ड फाइल।